न्यायालय : - उपजिलाधिकारी
मण्डल :लखनऊ , जनपद :लखनऊ , तहसील :मोहनलालगंज
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202010460309738
वाद संख्या:- 09738/2020
सुनील कुमार आदि बनाम सरकार
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 80
अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 11/03/2022

प्रार्थी सुनील कुमार पुत्र श्यामलाल व श्रीमती मायारानी पत्नी स्व0श्यामलाल व श्रीमती वन्दना पत्नी स्व0अनिल कुमार व समृद्धि न0 आयु 11वर्ष, एश्वर्या न0 8वर्ष पुत्रीगण अनिल कुमार संरक्षिका माता वन्दना पत्नी स्व0अनिल कुमार समस्त निवासीगण 587/27 गांधीनगर तेलीबग लखनऊ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 दिनांकित-19.03.2020 समर्थित शपथ-पत्र का संज्ञान लेकर प्रकरण की जांच तहसीलदार मोहनलालगंज के माध्यम से करायी गयी।

तहसीलदार मोहनलालगंज जनपद लखनऊ की निर्धारित प्रारूप पर जांच आख्या दिनांक-22.07.2020पत्रावलित हुई। जिसमें यह पाया गया कि गाटा संख्या-2192 रकबा-0.772हे. में से रकबा-0.759हे0 स्थित ग्राम गौरा परगना व तहसील मोहनलालगंज जनपद लखनऊ पर उपरोक्त प्रार्थी का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। प्रश्नगत भूमि पर कृषि कार्य से सम्बन्धित जैसे कृषि बागवानी, पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य संबर्द्धन तथा कुक्कुट पालन भी है आदि कोई कार्य नही किया जा रहा है, आस-पास आवासीय गतिविधिया विद्यमान है। उक्त भूमि लखनऊ महानगर योजना के अन्तर्गत ग्राम की है अन्य किसी भी योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित नही है। अतः उक्त भूमि को धारा-80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किए जाने हेतु आख्या प्रेषित की गयी है।

वाद दर्ज कर नियमानुसार लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ/सरकार को नोटिस जारी की गयी जो बाद तामीला संलग्न पत्रावली है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ और न ही उनकी ओर से कोई आपत्ति दाखिल की गयी है।

आवेदक द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में ग्राम गौरा की उद्धरण खतौनी वर्ष 1423 से 1428 फसली के खाता संख्या-00973 की प्रति तथा स्थल का फोटो ग्राफस उपलब्ध कराए गए है। इसके अतिरिक्त नियमानुसार निर्धारित शुल्क/न्याय शुल्क चालान संख्या-सी 500001मु.24300.00रू. दिनांक-05.03.2022 एवं स्टाम्प द्वारा धनराशि मु. 24300.00 क्रमशः स्टाम्प संख्या-923667, 933666, 923603, 923602, 759155, 759154, 759153, 759152, 733818, 733817, 733816 दिनांक-07.03.2022.पत्रावली पर उपलब्ध है।

मैने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों/साक्ष्यों एवं तहसीलदार की आख्या का सम्यक अवलोकन व परिशीलन किया। जिससे स्पष्ट है कि वर्तमान में प्रश्नगत भूमि पर कृषि से सम्बन्धित कोई कार्य नही किया जा रहा है, ऐसी दशा में प्रश्नगत भूमि को कृषि बागवानी, पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य संबर्द्धन तथा कुक्कुट पालन भी नही हो रहा है को अकृषिक घोषित किए जाने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नही होती है।

अतएव प्रश्नगत भूमि के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त तहसीलदार मोहनलालगंज की आख्या दिनांक-22.07.2020के आधार पर ग्राम गौरा परगना व तहसील मोहनलालगंज जनपद लखनऊ की गाटा संख्या-2192 रकबा-0.772हे. में से रकबा-0.759हे0 मालगुजारी 60ख से मुक्त करते हुए कृषि प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन अकृषिक प्राख्यापित की जाती है। अन्य अधिनियमों एवं मास्टर प्लान पर इसका प्रभाव नहीं होगा। इस भूमि का प्रयोग एवं इस पर निर्माण लखनऊ विकास क्षेत्र महानगर योजना 2021 के नियमों के अनुसार ही अनुमन्य होगा। यदि भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि से सम्बन्धित कार्य हेतु भूमि का उपयोग किया जाता है तो राजस्व संहिता की धारा-82 के अन्तर्गत तत्काल तहसीलदार, मोहनलालगंज अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे। परन्तु आदेश की घोषणा के दिन से पांच वर्षो की अवधि के भीतर

यदि भूमिधर प्रस्तावित गैर कृषि सम्बन्धी गतिविधि प्रारम्भ करने में विफल रहता है, तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश 2019 के अनुसार धारा-80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की उपधारा (2) के अधीन जोत या उसके आंशिक भाग की घोषणा व्यपगत हो जायेगी। अकृषिक घोषित की जा रही भूमि में यदि राज्य सरकार की आरक्षित श्रेणी की भूमि का समावेश भविष्य में प्रकाश में आता है तथा आवेदक द्वारा यदि कोई तथ्य छिपाया गया होगा, तो यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। अभिलेखो में अंकन किए जाने हेतु आदेश की एक प्रति तहसीलदार मोहनलालगंज व एक प्रति उप निबन्धक मोहनलालगंज को भेजी जाय। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफतर हो।
दिनांकः11-03- 2022

उप जिलाधिकारी
मोहनलालगंज,लखनऊ।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"